can be challenged under those laws. Further, rights thereunder are restricted to the territorial boundary of that country. Whenever information is received about patents being taken on certain products which are not considered patentable, steps are taken to assess whether grant of patent can be challenged. An exercise is going on to assess whether the grant of this patent can be challenged.

एच.एम.टी. अजमेर के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

2065. **श्री ओंकार सिंह लखावत** :क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एच.एम.टी. अजमेर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले तथा साथ ही अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा एक माह के सेटलमेंट भत्ते का भुगतान अभी तक नहीं किया गया हैं;

(ख) उक्त राशि कब से बकाया हैं;

(ग) क्या एच.एम.टी. को सरकार से उक्त राशि प्राप्त हो चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एच.एम.टी. की अजमेर यूनिट के कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं को देय राशि बकाया नहीं हैं। वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को देयराशि नीचे दी गई हैं:-

सं.		देयराशि (रूपए)	
(i) 1	भविष्य निधि	59597	
	उपदान	35221	
	लीव इनकेशमेन्ट	247	
	सेटलमेन्ट भत्ता	3213	
			98278
(ii) 5	भविष्य निधि	शून्य	
	उपदान	588167	
	लीव इनकेशमेन्ट	109602	
	सेटलमेन्ट भत्ता	37732	
			735501
कुलः-			833779

(ख) ऊपर (i) मे उल्लिखित पूर्व कर्मचारी के मामले में, उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाए गए रोक के मद्देनजर 30.5.1992 से राशि देय है। ऊपर (ii) मे उल्लिखित 15 कर्मचारियों मे से 12 कर्मचारियों के मामले में 31.3.1998 से भुतान देय हैं और शेष 3 के मामले में 30.6.98 से देय हैं।

(ग) और (घ) 3 वित्तीय वर्षो के दौरान भारत सरकार ने वी आर एस के उद्देश्य के लिए एचएमटी को राशि निम्नानुसार जारी की हैं:-

वर्ष	राशि (रूपए लाख में)
1996-97	1850
1997-98	2550
1998-99	1610

एचएमटी फिर इन निधियों को अपनी विभिन्न इकाईयों में वितरित करती है। कभी-कभी सरकार द्वारा दी गई राशि से वी आर एस के लिए आवेदन अधिक हो जाते हैं जिसके लिए वह दी जाती हैं।

(ड.) ऊपर (i) में वार्णित कर्मचारी के मामले में, चूंकि मामला न्यायालय में अधीन हैं इसलिए निर्णय प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जा सकेगा। शेष 15 मामलों में एचएमटी शीघ्र ही भुगतान करेगी।

Rajasthan Electronics and Instrument Ltd. Kota

2066. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the year-wise total value of production in terms of crores of rupees made by